न्यायालय के आदेश की नोटिस जिसके अंतर्गत COVID-19 के जोखिम कारकों वाले व्यक्तियों की अभिरक्षा (कस्टडी) को पुनर्निधारित करने की जरूरत है

यदि

- **आपकी आयु 55 वर्ष से अधिक हो**
- **आप गर्भवती हों**
- **आपको कोई ऐसी चिकित्सीय या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या या कोई विकलांगता हों, जिससे आपको COVID-19 होने का जोखिम हो**

तो ICE को इसकी समीक्षा करनी होगी कि क्या वह आपकी नज़रबंदी जारी रख सकता है।

20 अप्रैल, 2020 को, किसी संघीय न्यायालय ने *Fraihat v. ICE* नामक किसी मुकदमे में "वर्ग कार्रवाई" का अनुमोदन किया जिसमें ICE नज़रबंदी सुविधा-केंद्रों में चिकित्सा स्थितियों को चुनौती दी गई है। वर्ग कार्रवाई ऐसा मुकदमा होता है, जिसे लोगों के किसी समूह की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। यदि आपमें निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा जोखिम कारक है जिससे आपको कोरोनावायरस/COVID-19 से हानि का जोखिम हो, तो आप तब इस "वर्ग" के अंग हैं:

55 वर्ष से अधिक आयु होना;	गुर्दे का रोग
गर्भवती होना;	स्व-प्रतिरक्षित (ऑटो-इम्यून) रोग
असाध्य स्वास्थ्य स्थितियाँ होना जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: कार्डियोवास्कुलर रोग (कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, मायोकार्डियल इनफार्कशन का इतिहास या दिल की सर्जरी का इतिहास)	साँस संबंधी असाध्य रोग (दमा, असाध्य अवरोधात्मक फेफड़ों संबंधी रोग जिनमें असाध्य ब्रानकाइटिस या एम्फीसेमा या फेफड़ों संबंधी अन्य रोग शामिल हैं);
उच्च रक्त चाप	मनोविकार संबंधी गंभीर रोग
जिगर संबंधी रोग	प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांटेशन) का इतिहास
डायबिटीज़	HIV/AIDS
कैंसर	

यदि आपमें ऊपर वर्णित इन जोखिम कारकों में से कोई भी जोखिम कारक मौजूद है, तो ICE को यह समीक्षा **करनी होगी** कि क्या यह आपको नज़रबंदी में रखना जारी रख सकता है। यह तब भी लागू होता है भले ही आपको पहले पैरोल, बाँड या न्यायालय के समक्ष पेश करने से मना कर दिया गया हो। यह तब भी लागू होता है चाहे आपका अभिरक्षा (कस्टडी) वर्गीकरण कुछ भी हो, भले ही आपको पहले किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका हो जिसमें आपको अनिवार्य रूप से नज़रबंद किया जाता है।

इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि ICE, COVID-19 सर्वव्यापी महामारी से अपने निपटने के संबंध में न्यायालय के 20 अप्रैल के आदेश का पालन करे, मगर आपके आप्रवासन के मामले में वे आपका प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं होंगे। इस वर्ग की कानूनी फर्में दक्षिणी निर्धनता कानून केंद्र (Southern Poverty Law Center), नागरिक अधिकार शिक्षा एवं प्रवर्तन केंद्र (Civil Rights Education & Enforcement Center), विकलांगता अधिकार समर्थक, (Disability Rights Advocates), Orrick Herrington & Sutcliffe LLP, और Willkie Farr & Gallagher LLP हैं।

यदि आपको न्यायालय के 20 अप्रैल के आदेश के बारे में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो, या आप अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना चाहते हों, तो कृपया संपर्क करें: उस आदेश के अनुसरण में प्रदान किया जाना है कि ICE कॉलिंग की गोपनीय विधि सुनिश्चित करे।